

राजस्थान सरकार  
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांक एफ 5(1) आ०प्र०एवंसहा/पशुशिवि०/2021/6661-८६ जयपुर, दिनांक २६.०५.२०२१

आदेश

विभागीय अधिसूचना क्रमांक 6249-79 दिनांक 10.05.2021 द्वारा सम्वत् 2077 की अभाव अवधि दिनांक 15.07.2021 तक बढ़ाई जा चुकी है। अतः अभावग्रस्त जिलों में लघु एवं सीमान्त कृषकों के पशुओं के संरक्षण हेतु संचालित राहत गतिविधियां (यथा घोषित पशुशिवि०, पशुशिवि० एवं चारा डिपो) एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा अभावग्रस्त क्षेत्रों में करवाये जा रहे आपातकालीन पेयजल परिवहन की तिथि भी तुरन्त प्रभाव से दिनांक 15.07.2021 तक बढ़ाई जाती है।

  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, आ.प्र. एवं सहायता राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, राज. जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, पशु पालन विभा, राज. जयपुर।
5. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, गौपालन विभाग, राज. जयपुर।
6. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राज०, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राज., जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
10. निजी सचिव, सचिव, पशुपालन एवं गोपालन विभाग, जयपुर।
11. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, बीकानेर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर, राज.।
12. निजी सचिव, जिला प्रभारी सचिव, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, झालावाड़, पाली, प्रतापगढ़, राजस्थान।
13. जिला कलेक्टर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, झालावाड़, पाली, प्रतापगढ़, राजस्थान।
14. वित्तीय सलाहकार, आ०प्र० एवं सहायता विभाग, राज०, जयपुर।
15. आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के समस्त अधिकारीगण।
16. प्रोग्रामर, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, जयपुर।

  
संयुक्त शासन सचिव